दिनांक–17.07.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में जल–जीवन हरियाली मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

(1) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नगर निकाय के भवनों में Rain Water Harvesting (RWH) का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार के भवनों में भवन निर्माण विभाग द्वारा तथा केन्द्र सरकार के भवनों में CPWD के द्वारा Rain Water Harvesting का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा अथवा निर्माण कराया जाएगा।

[अनुपालन : TCPO]

(2) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि जितने भी तालाब, पोखर, कुएँ, Tubewells, Water Supply Points आदि तथा खुले क्षेत्रों (Open Grounds) जिनका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग फीट से अधिक हो, सभी सरकारी भवनों तथा वैसे निजी भवनों जिनके Rooftops का क्षेत्रफल 5,000 वर्ग फीट से अधिक हो, को GIS Mapping में चिह्नित किया जाय।

[अनुपालन : TCPO]

(3) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि Data Monitoring एवं कार्य की प्रगति के अनुश्रवण हेतु राज्य के 27 AMRUT शहरों का अनुश्रवण PDMC-AMRUT के द्वारा किया जाएगा तथा शेष 115 (142–27=115) नगर निकायों में कार्य की प्रगति का अनुश्रवण HFA एवं NULM की टीम द्वारा किया जाएगा।

[अनुपालन : PDMC-AMRUT / NULM/ HFA]

(4) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि कार्यक्रम के IEC Activities के अंतर्गत हर वैकल्पिक दिन (alternate day) समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाया जाय। साथ ही, निदेश दिया गया कि Rain Water Harvesting के बारे में प्रिन्ट मीडिया के अतिरिक्त अन्य प्रचार माध्यमों से Campaign एवं IEC Activities करायी जाय यथा – सभी नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में Hoardings लगाये जाएँ, TV पर Short Video Clips दिखाये जाएँ, Radio Spots चलाये जाएँ, Door to door pamphlet distribution, सभी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाये जाएँ, सभी नगर निकायों में Miking के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाय, प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत Flex Printing के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाय। साथ ही, नगर विकास एवं आवास विभाग के website पर Rain Water Harvesting के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

[अनुपालन : NULM]

(5) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि जल–जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत Rain Water Harvesting से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रपत्र बनाकर सभी नगर निकायों को भेजा जाय।

[अनुपालन : Section 2]

(6) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों के सभी तालाब/पोखर, कुओं आदि का फोटो खींच कर GIS Map पर चिह्नित किया जाय।

[अनुपालन : MIS Cell]

(7) बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों में Rain Water Harvesting के निर्माण के बारे में नल के मिस्त्री (Plumbers) एवं राजमिस्त्री (Masons) को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

[अनुपालन : NULM]

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

19/7/2015

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–2का/प्रमा.-01-06/19 3786 पटना, दिनांक–22/7/19

प्रतिलिपिः– बिहार राज्य अंतर्गत सभी नगर आयुक्त–नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी–नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी विभागीय पदाधिकारी/Team Leader-NULM / Team Leader-PDMC (AMRUT)/आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/Team Leader-MIS Cell, 7वाँ तल्ला, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/2019

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग